संख्या: 929 /XXIV-3/09/01(12)/2009

प्रेषक,

पी0एल0शाह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
समुदाय केन्द्र प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3 देहरादून: दिनांक 29 जून,2009

विषयः अमर मैमोरियल पब्लिक स्कूल,नयागांव हल्द्वानी रोड,कालाढूँगी जिला नैनीताल को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.),नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अमर मैमोरियल पब्लिक स्कूल,नयागांव हल्द्वानी रोड,कालाढूँगी जिला नैनीताल को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजुकेशन(सी.बी.एस.ई.),नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

(क) उत्तराखण्ड में स्थित शिक्षण संस्थानों को कौंऊसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन/सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त दोनों बोर्डो द्वारा निर्धारित शर्तो/मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(ख) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ग) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।

(घ) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेगें और उनसे उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।

(ड़) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशनल,नई दिल्ली/कौंसिल फार इण्डियन सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती हैं तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

(च) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(छ) विद्यालय/संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

Principal
Amar Memorial Public School
Naya Gaon, Kaladhungi
Nainital (UK) Affi. No.: 3530284

क्रमशः.....

(ज) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगें, संस्था उनका पालन करेगी।

(झ) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(ट) उक्त शर्तो में, बिना शासन के पूर्वानुमोदन के,कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2. अमर मैमोरियल पब्लिक स्कूल,नयागांव हल्द्वानी रोड,कालाढूँगी जिला नैनीताल द्वारा विद्यालय संचालन हेतु श्री मंदीप खन्ना पुत्र श्री विजय कुमार निवासी बाजपुर,तहसील बाजपुर जिला उधमसिंहनगर से 15 बर्षो की लीज पर भूमि ली गयी है। उक्त विद्यालय सभी भूमि उपयोग/निर्माण संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त समस्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(पी०एल०शाह)
उप सचिव।

संख्या 929 (1)/XXIV-3/09/01(12)/2009 तददिनांक।

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक,विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,कुमायूँ मण्डल,नैनीताल।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जनपद नैनीताल।
4. प्रधानाचार्य,अमर मैमोरियल पब्लिक स्कूल,नयागांव हल्द्वानी रोड,कालाढूँगी जिला नैनीताल।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी०एल०शाह)
उप सचिव।

Amar Memorial Public School
Manager

Principal
Amar Memorial Public School
Naya Gaon, Kaladhungi
Nainital (UK) Affi. No.: 3530284